न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 95 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. कंवराराम पुत्र मुकनाराम 2. तुलछाराम पुत्र वीरमाराम जाति जाट निवासी कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर	1. घमण्डाराम पुत्र करनाराम 2. अणदाराम पुत्र वीरमाराम 3. अर्जुनलाल पुत्र वीरमाराम 4. कोहलाराम पुत्र मुकनाराम 5. चुनीदेवी पत्नी वीरमाराम 6. पाबुराम पुत्र वीरमाराम 7. रेखाराम पुत्र वीरमाराम जाति जाट निवासी कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर 8. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुड़ला 9. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व राहायक कलक्टर, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 129 / 2022 बउनवान घमण्डाराम बनाम अणदाराम वगैरह में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री 23.05.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री विष्णु चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुरेश चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—11.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 (वादी) द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त के पैतृक खेत मौजा कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 418, खसरा संख्या 425, खसरा संख्या 426, खसरा संख्या 427 के आये हुए है। विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 को पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी। जिस पर वक्त सेटलमेंट वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के पूर्वजों का कब्जा काश्त था तथा उनके फौत होने पर वादी व

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के नाम राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद हुआ। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। विवादित भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रैकर्ड में हिस्से खुले हुए हैं। राजस्व रैकर्ड के माफिक वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 विवादित भूमि पर काबिज है तथा उनकी रहवासी ढाणियां, चाराबाड़े, पशुबाड़े व टांके बने हुए हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के बीच में हिस्से खुले हुए हैं परन्तु खेत के हिस्से को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवारा संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है। इसलिए बंटवारा का इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 07 सी पी सी का प्रस्तुत किया गया था जिसे शामिल पत्रावली किया गया। लेकिन उस आवेदन पत्र पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करते हुए उसी दिन उक्त प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनन व इंसाफन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमतः विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपीलकर्ता पर हस्तगत प्रकरण की सम्यक तामील नहीं करवाई गई एवं सम्यक तामील के बिना ही अपीलकर्ता के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात अपीलकर्ता द्वारा आदेश 09 नियम 07 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन उस पर भी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाधीन आराजी के सेढा पर नहर आई हुई है। किसी भी प्रकरण में कोई निर्णय पारित करने से पूर्व दोनों ही पक्षों को समुचित अवसर दिया जाना न्याय संगत होता है परन्तु इस प्रकरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उत्तरदाता संख्या 06 द्वारा वाद पत्र का जबावदावा मय काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अपीलकर्ता संख्या 01 के कब्जे एवं काश्त के अनुसार उसके हिस्से की भूमि को भी बाई मीट्स एण्ड बोण्डस अलग की जावे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत जबावदावे का निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार उल्लेख नहीं करते हुए निर्णय व डिक्री पारित करने में इंसाफन व कानूनन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई, दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित नहीं किये गये। प्रतिवादी संख्या 06 की विभाजन प्रस्ताव पर की गई आपत्ति का निस्तारण नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आराजी का विभाजन राजस्व मण्डल राजस्थान के विभाजन नियम 18 से 21 के विपरीत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है उसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी किये गये जो अपीलांटस से विधिवत तामील करवाये गये। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। हस्तगत प्रकरण में दो बार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अपीलांट को दोनों ही विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति रही है तथा आपत्ति का कारण बंटवारा नहीं होने देना है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। अपीलांटस की मंशा उत्तरदाता/वादी के खातेदारी अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बंटवारा नहीं होने देने की है। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों की सम्यक तामील करवाई गई। अपीलांटगण द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील पेश नहीं की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्टेज पर हुई समस्त वैधानिक कार्यवाही से अपीलांट संतुष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा उभयपक्ष के नाम से सम्मन जारी किये गये जो पक्षकारान से विधि सम्यक तामील करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश किया, जिस पर दिनांक 23.05.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार बार आपत्ति की गई लेकिन अपनी तरफ से किसी प्रकार के बंटवारे के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा विभाजन पर की गई आपत्ति में कोई वैधानिक सार नहीं था। हस्तगत प्रकरण में दो बार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ तथा अंतिम बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की गई है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 129/2022 बउनवान घमण्डाराम बनाम आणदाराम वगैरह में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री 23.05.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

11/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर